न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/10

रूघनाथ आयु 60 वर्ष आत्मज रामा जाति धाकड निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री श्याम दत्त दाधीच, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 92ए के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 83 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 84 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 85 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि पर वादी का पिछले 70 वर्षों से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि को वादी के पिता ने नोतोड भूमि से जमीन को हकत कर जमीन को काबिल काश्त बनाया था । उक्त भूमि को काबिल काश्त करने में वादी अब तक काफी रकम खर्च कर चुका है । वादी उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बन गया है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी अपीलान्ट का पिछले 70 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है और वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में उपस्थित होने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद में दिनांक 16.10.2015 आगामी पेशी नियत की हुई थी और उसके पूर्व ही इसको लोक अदालत में रखा गया और उसी दिन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट को सर्वप्रथम निर्णय एवं डिक्री की जानकारी दिनांक 16.10.2015 को गवाहों को उपस्थित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ तब जानकारी हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मींमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि को अपीलान्ट एवं उसके पिता ने नोतोड से फाडकर आबाद किया था तब से अर्थात् 70 वर्षो से पूर्व से वादी अपीलान्ट उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है जबकि लोक अदालत में उपस्थित होने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर हक घोषणा का अनुतोष चाहता है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालाफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री 118.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वह उचित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर वादी अपीलान्ट ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत् वाद पेश किया है । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि कृषि भूमि पर कब्जा मुखालाफना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते ।

12. इन तथ्यों के आधार पर दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 16/10

रूघनाथ आयु 60 वर्ष आत्मज रामा जाति धाकड निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——**अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——**प्रत्यर्थी**

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 33/दावा/2003

रूघनाथ आयु 60 वर्ष आत्मज रामा जाति धाकड निवासी ग्राम भावपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी ।
2. भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.06.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री श्याम दत्त दाधीच एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं कब्जा मुखालफाना के आधार पर मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.06.2015 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा